



यात्री पन्ना
Passenger Foil

क्रम संख्या
Sl. No.

सेवा में To,
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक(धन वापसी)
प्रधान कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे
जवाहर सर्किल के पास, जयपुर (राज.) 302017
Chief Commercial Manager(Refunds)
H.Q. Office, North Western Railway,
Near Jawahar Circle, Jaipur (Raj.) 302017

रद्दीकरण के लिए अभ्यर्पित टिकट का विवरण:

Particulars of the Ticket surrendered for cancellation :

- यात्रा टिकट / पी.एन.आर. संख्या
Journey Ticket / PNR No.
- गाड़ी संख्या
Train No.
- टिकट की वैधता: स्टेशन..... से स्टेशन तक
Validity of Ticket : Station fromto Station
व्यवस्था Via
- अनुपूरक प्रभार टिकट /अधिक किराया टिकट /गार्ड प्रमाण पत्र संख्या
Supplementary Charge Ticket / Excess Fare Ticket /
Guard Certificate No.
- आरक्षण टिकट संख्या
Reservation Ticket No.
- कुल प्रभार (शब्दों में) : रू.
Total Charges (in words) : Rs.
- स्टेशन पर धन वापसी ना देने का कारण
Reason for not granting refund at the station

दिनांक Date

समय Time

- दर्जा
Class
- यात्रा की तारीख
Date of Journey
- यात्रियों की संख्या
No. of passengers
- क्या पीएनआर रिलीज किया गया? हॉ/नही
whether PNR was release?.....Yes/NO
- आरक्षण स्तर -कन्फर्म/आरएसी/प्रतीक्षा सूची
Reservation Status - CNF/RAC/Waiting list.....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर

Depositor's Signature

नाम Name

मोबाईल नम्बर Mob.No.

टी.डी.आर जारीकर्ता का नाम,पदनाम एवं हस्ताक्षर

Signature ,Name & Designation of TDR issuing authority

यात्री के लिए अनुदेश Guidelines for Passengers

- यात्री के लिए टीडीआर के ऊपर लिखे पते पर, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (धन वापसी) को आवेदन पत्र (पीछे मुद्रित) भेजना अपेक्षित है। इस रसीद को मूल रूप में आवेदन पत्र के साथ वापस करें। आवेदन पत्र संबंधित धन वापसी कार्यालय में जल्दी पहुँचना चाहिए, लेकिन यात्रा की तारीख से 10 दिन के बाद नहीं।
- निम्न श्रेणी में यात्रा, वातानुकूलन यंत्र के खराब हो जाने, यात्रा कर रहे व्यक्तियों की संख्या कम हो जाने, आदि के कारण टीटीई/कण्डक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, को आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न किया जाना जरूरी है।
- यदि यात्री के हित में होगा कि वह आवेदन पत्र को स्वयं दे अथवा पंजीकृत डाक के द्वारा भेजे तथा इस रसीद और अन्य दस्तावेजों की एक-एक प्रति रख ले।
- धन वापसी स्टेशन भुगतान आदेश (जिसका भुगतान स्टेशन पर होगा) या मनीआर्डर या रेखांकित चैक के द्वारा किया जाता है। स्टेशन भुगतान आदेश केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो रिफण्ड देने वाली रेल के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। वहरहाल, मनीआर्डर तथा रेखांकित चैक उन सभी व्यक्तियों को जारी किये जाते हैं जो रिफण्ड देने वाली रेल के अधिकार क्षेत्र के भीतर या बाहर रहते हैं। भुगतान आदेश के माध्यम से भुगतान की प्राप्ति पर आवेदक को नकद राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित अवधि में नामित स्टेशन के काउन्टर पर अपनी पहचान के लिए परिचय पत्र/राशन कार्ड /पास पोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि को सवृत के रूप में साथ लेकर जाना होगा। यदि आवेदक भुगतान आदेश की नकद राशि को व्यक्तिगत रूप में जाकर लेने में समर्थ ना हो तो उसे समुचित रूप से किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना चाहिए तथा इस प्राधिकृत व्यक्ति को नकद राशि देते समय उसी तरह पहचान का सवृत साथ ले जाना होगा।
- Passenger is required to send an application for refund (in the application form printed on reverse) to the Chief Commercial Manager (Refunds) at the address printed on the top of the TDR. This receipt, in original, must be returned, the application must reach the concerned refund office at the earliest **but not later than 10 days from the date of journey.**
- The certificate, issued by the TTE/Conductor for lower class travel, AC failure, less number of passenger travelling, etc. are also required to be enclosed in original with the application.
- It will be in the interest of the passenger to send the application either by hand or by registered posts and keep a copy of this receipt and other documents.
- Refund is granted through station pay order (to be encashed at station) or money order or cross cheque. Station pay order are issued to persons who reside only within the jurisdiction of the refund granting railway. However, money orders and cross cheques are issued to persons who are residing within as well as out side the jurisdiction of refund granting railway. On receipt of the pay order, passenger should approach the counter of nominated station for encashment within the stipulated period along with proof of his /her identity like some identity card/ driving license/ passport /ration card, etc. In case of applicant wants to collect money through his/her representative, appropriate authorization should be made and the authorized person should likewise carry proof of identity at the time of encashment.

(कृ.पू.उ. P.T.O.)

80

N.A.

किराये की वापसी के लिए आवेदन पत्र APPLICATION FOR REFUND OF FARE

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक(धन वापसी)
प्रधान कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे
जवाहर सर्किल के पास, जयपुर (राज.) 302017
Chief Commercial Manager(Refunds)
H.Q. Office, North Western Railway,
Near Jawahar Circle, Jaipur (Raj.) 302017

महोदय Sir,

विषय :- किराये की वापसी का दावा - टिकट पी.एन.आर. संख्या
Sub :- Claim for Refund of Fare - Ticket / PNR No.

उपरोक्त टिकट (टिकटों) को रद्द करने के बाद पिछले पृष्ठ का टीडीआर जो कि
रेलवे स्टेशन द्वारा जारी किया गया था।

The TDR on pre-page was issued on cancellation of the above mentioned ticket(s) at
Railway station.

2. यात्रा रद्द करने का कारण - ट्रेन निरस्त/डायवर्टेड/तीन घंटे से ज्यादा विलम्बित/निचले दर्जे में
यात्रा/वातानुकूलित यंत्र की खराबी/अन्य कारण
Reason for cancellation of journey- Train cancelled/diverted/running late by more than 3 hours/lower class
travel/ AC not working/Others.

3. यात्रियों के नाम जिनके लिये टिकट जारी किया गया था :
Name of the passengers for whom the tickets were issued.
1..... 2.....
3..... 4.....
5..... 6.....

4. उपरोक्त व्यक्तियों में से, कम संख्या से तक व्यक्तियों ने
स्टेशन से स्टेशन तक यात्रा नहीं की।
Out of the above persons, the persons at Sr.No. To did not travel
from station to Station.

5. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो,
Additional information, if any,

6. मैं अनुरोध करता हूँ कि नियमों के अन्तर्गत देय धनवापसी मुझे निम्नलिखित पते पर भेजी जाये। मेरे निवास स्थान के
निकट रेलवे स्टेशन है।

I request that the refund due under the rules, may please be sent to me at my follow address. Name of the
Railway station serving my place of residence is

7. दावाकर्ता स्वयं यात्री है अथवा नहीं ?
Whether the claimant is passenger or otherwise?

8. यात्री के बैंक खाते का विवरण जिस पर धनवापसी दी जाये-
Bank Detail of the passenger for refund

- I. खाताधारक यात्री का नाम
Name of the Account Holder.....
- II. बैंक का नाम व शाखा का पता
Name of the Bank and Address
- III. खाता संख्या
Account No.
- IV. आई.एफ.एस.सी. संख्या.....
IFSC No.
- V. पीओएस रिफण्ड के प्रकरण में वांछित जानकारी - आरआरएन नं. टीआईडी नं. एमआईडी नं.
Information required in cases of POS Refund - RRR No. TID No. MID No.

VI. पीओएस रिफण्ड के प्रकरण में उपयोग में लाये गये क्रेडिट कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।
For refund related with POS, attach photo copy of credit card used.
सुविधा के लिए कैंसिल बैंक चैक अथवा बैंक पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करें।
For the convenience, enclose cancelled cheque or Bank pass book photo copy.

दावेदार के हस्ताक्षर
Signature of Claimant
नाम मोटे अक्षरों में
Name in block letters
पूरा डाक पता(स्पष्ट मोटे अक्षरों में)
Full postal address (in clear block letters)
पिन कोड Pin Code
Mob.No.....

दिनांक Date